कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 1191/रीoएoडीoएमo/2021 इन्दौर, दिनांक 08/7/2021

:: आ दे श ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर (डिवीजन बैंच द्वारा ड्ब्ल्यू.पी. क्रमांक 9293/2020 में पारित आदेश दिनांक 04–11–2020 में निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस के संबंध में निर्देश दिये गये है। चूकि अभी कोविड–19 पेन्डमिक समाप्त नहीं हुआ है एवं भविष्य में कोविड–19 पेन्डमिक की तृतीय लहर आना संभावित है। अतः निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्यको सुरक्षित रखने की दृष्टि से मैं **मनीष सिह, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144(1)(2) के अंतर्गत निजी विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन शुल्क के संबंध में इन्दौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के में संचालित निजी विद्यालयों हेतु निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

1. यह कि सम्पूर्ण जिले में कोई भी निजी विद्यालय कोविड–19 पेन्डमिक समाप्त घोषित होने तक व जब तक ऐसे विद्यालय सामान्य स्थिति में संचालित होना शुरू नहीं हो जाते, ट्यूशन शुल्क में शैक्षणिक सत्र 2020–2021 में जाने वाली ट्यूशन शुल्क की तुलना में शैक्षणिक वर्ष 2021–22 हेतु कोई शुल्क वृद्धि नहीं करेगे। शैक्षणिक सत्र 2021–22 में जब ऐसे विद्यालयों का संचालन सामान्य स्थिति में शुरू हो जाता है तब किसी प्रकाश की शुल्क वृद्धि "मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जा सकेगी।
2. सम्पूर्ण इन्दौर जिले की सीमा अंतर्गत कोविड–19 पेन्डमिक समाप्त घोषित होने तक तथा निजी विद्यालय समान्य स्थिति में संचालित होने तक निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु केवल ट्यूशन शुल्क ही ले सकेगे, तथा इसके अतिरिक्त अन्य शुल्क जैसे पुस्तकालन शुल्क, रीडिंग शुल्क, गेम्स शुल्क, लेबोरेटरी शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क, प्रायोगिक शुल्क, परीक्षा शुल्क (जबतक परीक्षाऐं संचालित नहीं होती है) तथा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम शुल्क जैसे राष्ट्रीय त्यौहार, वार्षिक आयोजन, खेल कुद व विकास शुल्क इत्यादि न पृथक से लेगे व न हीं इस प्रकार से शुल्क को ट्यूशन शुल्क के साथ जोडकर ट्यूशन शुंल्क लेगें। कुछ निजी विद्यालयों द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अनुचित है। ऐसे विद्यालयों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत सही पाए जाने पर इनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

चूंकि यह आदेश जनसाधारण की सविधा के लिये सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। प्रभावित पक्षों पर उक्त सूचना की तामिली की जाने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा।

यह आदेश दिनांक 08–07–2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीनं मुद्रा से जारी किया गया।

(मनीष सिंह)
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ0क्रमांक /1192/डी.ए..डी.एम./2021 इन्दौर, दिनांक 08/7/2021

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर रैंज, इन्दौर।
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, जिला इंदौर।
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, इन्दौर ।
5. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर।
6. अपर कलेक्टर, समस्त जिला इन्दौर ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर ।
8. अति0पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र/यातायात, जिला इन्दौर ।
9. अनुविभागीय अधिकारी/दण्डाधिकारी, समस्त, जिला इंदौर।
10. एस0डी0ओ0(पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक, ————————————जिला इन्दौर ।
11. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
12. उप संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ———————— जिला इन्दौर ।
14. प्रभारी अधिकारी, एन.आय.सी. कलेक्टोरेट इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेब साईड पर अपलोड करने हेतु।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद, ————————————, जिला इन्दौर ।
16. थाना प्रभारी, थाना ————————————, जिला इन्दौर ।
17. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर ।

जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

Scanned by CamScanner